विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-02/2024

श्री लोकेन्द्र दुबे, – आवेदक
द्वारा – श्री संजय अग्रवाल,
603 खातीवाला टेंक, इन्दौर (म0प्र0)

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री (पूर्व शहर) संभाग, – अनावेदक
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
सत्य सांई जोन, विजय नगर,
इन्दौर (म0प्र0) – 452005

आदेश

(दिनांक 28.03.2024)

आवेदक की ओर से सलाहकार श्री संजय अग्रवाल उपस्थित रहे।

अनावेदक की ओर से श्री दिनेश कुमार तिवारी, कार्यपालन अभियन्ता (दक्षिण) एवं श्री अनुज आहूजा, ओ.ए. ग्रेड–2, इंदौर उपस्थित रहे ।

01. आवेदक – श्री लोकेन्द्र दुबे, द्वारा – श्री संजय अग्रवाल, 603 खातीवाला टेंक, इन्दौर (म0प्र0) ने अपने लिखित अभ्यावेदन दिनांक – निल से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र द्वारा प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू 0554323 में पारित आदेश दिनांक 17.08.2023 से असंतुष्ट होने के कारण विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(6) के अन्तर्गत यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया । आवेदक द्वारा ''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के विनियम **''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम 2021''** की कण्डिका 3.38 के पालन की पुष्टि उपरांत इस प्रकरण को क्रमांक एल00–02/2024 पर दर्ज किया गया ।

02. प्रकरण के संक्षिप्त बिन्दु निम्नानुसार है :–

आवेदक का शहरी क्षेत्र में गैर–घरेलू विद्युत संयोजन क्रमांक एन 3541009431 9 किलोवाट स्वीकृत भार का है । आवेदक द्वारा बिजली खपत नहीं अथवा कम होने के कारण सामान्यतः उनकी वास्तविक विद्युत खपत 50 यूनिट से कम आती है, लेकिन मिनिमम वार्षिक उपयोग ग्यारन्टी (240 युनिट)/12 के कारण अनावेदक द्वारा उनको मासिक बिल 180 युनिट (240 युनिट x 9 कि.वा.) का दिया जा रहा है। आवेदक के कथन अनुसार वास्तविक खपत 50 युनिट से कम होने के कारण 50 यूनिट से कम वाले टैरिफ स्लेब के अंतर्गत ऊर्जा प्रभार एवं फिक्स प्रभार लगना चाहिये । परन्तु अनावेदक/बिजली कम्पनी के द्वारा गैर घरेलु निम्न दाब उपभोक्ता हेतु टैरिफ की निबंधन एवं शर्तों के कारण उपरोक्तानुसार मिनिमम 180 युनिट के मासिक बिल का भुगतान आवेदक को करना पड़ता है।

म0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश में विनिर्दिष्ट निबंधन एवं शर्तों के कारण बिजली कम्पनी 50 यूनिट से कम वास्तविक खपत वाले उपभोक्ता को मिनिमम खपत के आधार पर 50 यूनिट तक या उससे कम उपयोग होने पर भी न्युनतम 180 युनिट खपत मानकर 50 यूनिट से अधिक वाले स्लेब में ऊर्जा एवं फिक्स प्रभार का बिल दे रही है।

आवेदक अनुसार उनके द्वारा सर्वप्रथम शिकायत आयोग को प्रेषित की थी । आयोग द्वारा यह शिकायत इन्दौर फोरम को अग्रेषित की गयी एवं फोरम के द्वारा आयोग के पत्र के आधार पर प्रकरण क्रमांक 554323 दर्ज कर सुनवाई की गयी है । आवेदक अनुसार विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर द्वारा टैरिफ नियम के साथ आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर ध्यान नहीं देते हुए उसका परिवाद अस्वीकार कर दिया गया, जिससे पीड़ित/असंतुष्ट होकर आवेदक/उपभोक्ता ने विद्युत लोकपाल के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया ।

03. अभ्यावेदन में आवेदक द्वारा अपील के प्रमुख तथ्य/आधार निम्नानुसार है :–

(i) विवादित संयोजन टैरिफ की एलवी 2.2 शहरी क्षेत्र की श्रेणी में आता है । एल.वी. 2.2 की कई उप श्रेणियाँ हैं। उपश्रेणी क्रमांक 1 के अनुसार, 1 से 10 किलोवाट तक के उपभोक्ता जिनकी मासिक खपत 50 यूनिट तक है उसके लिये ऊर्जा प्रभार रूपये 6.30 प्रति यूनिट एवं नियत प्रभार रूपये 82 प्रति किलोवाट की दर से लगेगा।

(ii) टैरिफ एल.वी. 2.2 की उपश्रेणी क्रमांक 2 के अनुसार 10 किलोवाट तक के उपभोक्ता की मासिक खपत 50 यूनिट से अधिक होने पर उनके लिये ऊर्जा प्रभार एवं नियत प्रभार की दर क्रमशः रूपए 7.80 प्रति यूनिट एवं रूपए 138 प्रतिकिलोवाट की रहेगी।

(iii) चूँकि उपभोक्ता का वास्तविक उपयोग 50 यूनिट से कम है, अतः उसका बिल टैरिफ के अनुसार 50 यूनिट से कम उपयोग का लगना चाहिये । इसी नियम के आधार पर यह अभ्यावेदन/अपील प्रस्तुत है।

(iv) आवेदक द्वारा यह निवेदन किया गया उनको इस कि प्रकरण में कोई भी व्यक्तिगत तर्क नहीं देना है, केवल नियमानुसार बिल सुधार का निवेदन है । अतः प्रकरण का निराकरण में लगने वाली तारीख पर उनकी अनुपस्थिति में **नियम के आधार पर**/अपील के गुण दोष के आधार पर किया जावे ।

04. अभ्यावेदन में आवेदक द्वारा प्रार्थना :–

(i) माननीय फोरम के आदेश को निरस्त किया जावे ।

(ii) अनावेदक विधिनुसार 50 युनिट से कम उपयोग वाले स्लेब के अनुसार बिल बनाकर देवें ।

(iii) संयोजन लेने से आज दिनांक तक के सभी बिल टैरिफ अनुसार दिए जावे ।

05. इस प्रकरण क्रमांक एल.00–02/2024 में वर्चुअल सुनवाई हेतु आवेदक के विशेष निवेदन पर उभयपक्षों से ई–मेल आई–डी प्राप्त कर वर्चुअल सुनवाई दिनांक 29.02.2024 को नियत की गई। सुनवाई हेतु नियत दिनांक की सूचना आयोग की वेबसाईट पर भी दी गई ।

06. वर्चुअल सुनवाई के दौरान आवेदक की ओर से आवेदक के सलाहकार श्री संजय अग्रवाल तथा अनावेदक की ओर से श्री दिनेश कुमार तिवारी, कार्यपालन अभियन्ता (दक्षिण) एवं श्री अनुज आहूजा, ओ.ए. ग्रेड–2, इंदौर उपस्थित रहे।

दोनों पक्षों को सुना गया। सुनवाई के दौरान अनावेदक ने कथन किया कि वह प्रकरण से संबंधित अपना प्रतिउत्तर दिनांक 07.03.2024 तक प्रस्तुत करेंगे । उभयपक्षों को पूर्ण संतुष्टि तक सुनकर उन्हें अतिरिक्त दस्तावेज/तथ्य/कथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया । उभयपक्षों द्वारा बताया गया कि उन्हें प्रकरण में आगे कोई और कथन नहीं किया जाना है। अतः प्रकरण में सुनवाई समाप्त करते हुए अनावेदक के प्रतिउत्तर प्राप्त होने के पश्चात आदेश हेतु सुरक्षित किया गया ।

07. अनावेदक ने उनके प्रतिउत्तर दिनांक 18.03.2024 में निम्नानुसार कथन किया :–

''श्रीमान से प्राप्त निर्देश जो कि वर्चुअल सुनवाई के दौरान जो कि दिनांक 29.02.2024 को प्राप्त हुए थे, तथा माननीय विद्युत लोकपाल द्वारा प्रकरण में निर्धारित टैरिफ में दिये गये प्रावधान का स्पष्ट क्रयान्वय का अभिमत चाहा गया था।

म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष –2023–24 में गैर–घरेलु श्रेणी के उपखण्ड LV 2.2 में दर्शित टैरिफ के अनुरूप उपभोक्ता श्री लोकेन्द्र दुबे (सर्विस क्रमांक N3541009431)

द्वारा स्वयं के 9 किलो वॉट गैर–घरेलु विद्युत संयोग पर मासिक नियत प्रभार 138 रूपये प्रति किलो वॉट के स्थान पर 82 रूपये किलो वॉट लेना उचित होगा तथा इस आशय के पुष्टिकरण हेतु उक्त प्रकरण माननीय विद्युत लोकपाल के समक्ष लंबित है।

श्रीमान उक्त प्रकरण में टैरिफ की सूक्ष्म जाँच करने पर यह उल्लेखित होता है कि अगर उक्त श्रेणी का उपभोक्ता द्वारा 50 युनिट प्रति माह से कम खपत होती है तथा स्वीकृत भार 10 किलो वॉट तक है, तो वर्तमान टैरिफ (वर्ष–2023–24) के अनुसार उपभोक्ता की मासिक खपत जिस माह 50 युनिट से कम है में मासिक नियत प्रभार 82 रूपये प्रति किलो वॉट होना चाहिए । उक्त का स्पष्टीकरण टैरिफ ऑर्डर 2024–25 में किया गया हैं।

टैरिफ निर्धारण माननीय M.P.E.R.C. द्वारा किया जाता है तथा पुर्व में भी आशय यही था कि युनिट का निर्धारण GMC के आधार पर होगा। टैरिफ ऑर्डर 2024–25 में माननीय आयोग द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया हैं।''

08. आवेदक एवं अनावेदक के कथन के परीक्षण एवं अभ्यावेदन और संलग्न दस्तावेजों के पर्यवेक्षण पर निष्कर्ष निम्नानुसार है :–

आवेदक के अभ्यावेदन और वर्चुअल सुनवाई के दौरान उनके कथन अनुसार इस प्रकरण में विवाद माननीय म0प्र0 विद्युत नियामक द्वारा जारी वर्ष 2023–24 हेतु रिटेल सप्लाई टैरिफ आदेश (Retail Supply Tariff Order) दिनांक 28 मार्च, 2023 के अन्तर्गत गैर घरेलू श्रेणी एल. वी. 2.2 में आवेदक के संयोजन पर लागू होने वाले एनर्जी चार्जेस और फिक्स चार्जेस के निर्धारण का हैं ।

आवेदक के कथन अनुसार उनके शहरी क्षेत्र में 9 कि.वा. गैर घरेलू संयोजन की **वास्तविक विद्युत खपत 50 यूनिट** या उससे कम होने पर टैरिफ शैड्युल एल.वी. 2.2 की प्रथम पंक्ति अनुसार रू0 6.30/युनिट एनर्जी चार्ज और रू. 82/ कि.वा. फिक्स्ड चार्जेस लगने चाहिए । आवेदक के ही अनुसार यदि उनके 9 कि.वा. संयोजन की **वास्तविक विद्युत खपत** 50 यूनिट से अधिक होती है तो टैरिफ शैड्युल एल.वी. 2.2 में तालिका की दूसरी पंक्ति के अनुसार शहरी क्षेत्र हेतु रू. 7.80/युनिट एनर्जी चार्जेस और रू. 138/कि.वा. फिक्स चार्जेस लगने चाहिए ।

अनावेदक के कथन अनुसार आवेदक के विद्युत संयोजन की मासिक खपत का निर्धारण एल0वी0 2 श्रेणी में वर्णित विशिष्ट निबंधन एवं शर्तों (Specific terms and Condition) के अन्तर्गत वार्षिक न्यूनतम खपत (Minimum Annual Charges) के आधार पर ही की जावेगी ।

आवेदक ने अपने अभ्यावेदन और वर्चुअल सुनवाई में उनकी मासिक विद्युत खपत की गणना हेतु **वास्तविक खपत जो कि मीटर में रिकार्ड** की गई है उसको ही एनर्जी चार्ज एवं फिक्स चार्ज की दर लागू करने हेतु निवेदन किया है । जबकि अनावेदक के कथन अनुसार गैर घरेलु

श्रेणी एल0वी0 2.2 में ऊर्जा प्रभार एवं फिक्स प्रभार हेतु तालिका में वर्णित प्रथम दोनों पक्तियों में आवेदक/उपभोक्ता की विद्युत खपत का आधार वार्षिक मिनिमम कन्जप्शन (Annual Minimum Consumption) यानि 240 यूनिट प्रति किलोवॉट वार्षिक के हिसाब से न्यूनतम मासिक खपत मानकर ही ऊर्जा एवं फिक्स चार्ज का निर्धारण होता है ।

अनावेदक द्वारा आवेदक की बिलिंग उसके स्वीकृत भार (9 कि.वा.) पर 240 यूनिट प्रति किलोवाट वार्षिक न्यूनतम खपत के आधार पर 180 यूनिट प्रतिमाह मानते हुए उपर्युक्त टैरिफ शैड्यूल एल.वी. 2.2 की तालिका में 50 यूनिट से अधिक वाली पंक्ति के आधार पर रू0 7.80 प्रति यूनिट एनर्जी चार्ज एवं 138 रू0 प्रति किलोवाट फिक्स चार्ज की दर से की गई हैं।

इस प्रकरण में टैरिफ दर लागू करने के लिए मासिक खपत का निर्धारण प्रश्नाधीन है इसलिए माननीय मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा उपर्युक्त रिटेल सप्लाई टैरिफ आदेश में वर्णित निम्न दाब उपभोक्ताओं के लिए सामान्य निबंधन एवं शर्तें (जनरल टर्म्स एण्ड कण्डीशन ऑफ लो टेंशन टैरिफ) के पैरा – 9(जी) का संज्ञान लेना आवश्यक होगा, जिसमें यह निर्दिष्ठ है कि **किसी विशेष निम्न दाब श्रेणी में टैरिफ लागू होने पर विवाद होने की स्थिति में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा ।** अतः आयोग द्वारा जारी टैरिफ दरों के लागू होने के विवाद को आयोग के ही आदेश द्वारा निर्णीत माना जा सकेगा ।

इस प्रकरण में दिनांक 29.02.2024 को प्रथम सुनवाई के एक सप्ताह पश्चात ही आयोग द्वारा वर्ष 2024–25 हेतु रिटेल सप्लाई टैरिफ आदेश दिनांक 6 मार्च 2024 (याचिका क्रमांक 73/2023) को जारी किया गया, जिसमें इस प्रकरण से संबंधित निम्न दाब गैर घरेलु श्रेणी एल.वी. 2.2 की तालिका की प्रथम 2 पंक्तियों में लागू होने वाले एनर्जी चार्ज एवं फिक्स चार्ज के लिए मान्य विद्युत खपत को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया गया हैः–

LV 2.2

Applicability:

This tariff is applicable for light, fan and power to Railways (for purposes other than traction and supply to Railway Colonies/water supply), Shops/showrooms, Parlors, All Offices, Hospitals and medical care facilities including Primary Health Centers, clinics, nursing homes belonging to either Govt. or public or private organisations, public buildings, guest houses, Circuit Houses, Government Rest Houses, X-ray plant, recognized Small Scale Service Institutions, clubs, restaurants, eating establishments, meeting halls, places of public entertainment, circus shows, hotels, cinemas, professional's chambers (like Advocates, Chartered Accountants, Consultants, Doctors etc.), bottling plants, marriage gardens, marriage houses, advertisement services, advertisement boards/ hoardings, training or coaching institutes, petrol pumps and service stations, tailoring shops, laundries, gymnasiums, health clubs, telecom towers for mobile communication and any other establishment which is not covered in other LV categories.

Tariff:

Tariff shall be as given in the following table:

Sub category	Energy Charge (paise/unit) Urban/ Rural areas	Monthly Fixed Charge (Rs.)	
		Urban areas	Rural areas
Sanctioned load based tariff (only for connected load up to 10 kW) on all units if monthly consumption is **upto 50 units***	630	82 per kW	67 per kW
Sanctioned load based tariff (only for connected load up to 10 kW) on all units in case monthly consumption **exceeds 50 units***	780	138 per kW	117 per kW
Demand based tariff (**Mandatory** for Connected load above 10 kW)	690	296 per kW or 237 per kVA of billing demand	214 per kW or 171 per kVA of billing demand
Temporary connections including Multi point temporary connection at LT for Mela**	870	224 per kW or part thereof of sanctioned or connected or recorded load, whichever is the highest	195 per kW or part thereof of sanctioned or connected or recorded load whichever is the highest
Temporary connection for marriage purposes at marriage gardens or marriage halls or any other premises covered under LV 2.1 and 2.2 categories	870 (Minimum consumption charges shall be billed @ 6 Units per kW or part thereof of sanctioned or connected or recorded load, whichever is the highest for each 24 hours duration or part there of subject to a minimum of Rs.500/-)	87 for each kW or part thereof of sanctioned or connected or recorded load, whichever is the highest for each 24 hours duration or part thereof	67 for each kW or part thereof of sanctioned or connected or recorded load, whichever is the highest for each 24 hours duration or part thereof

***The applicability of sanctioned load based tariff shall be subject to monthly consumption corresponding to minimum charges leviable under the specific terms and conditions for LV-2 category.**

** In case permission for organizing Mela isgranted by Competent Authorities of the Government of Madhya Pradesh

<u>Specific Terms and Conditions for LV-2 category:</u>

a) **Minimum charges:** The consumer shall pay minimum annual charges based on consumption of 240 units per kW or part thereof in urban areas and 180 units per kW or part thereof in rural areas of sanctioned load or contract demand (in case of demand based charges) irrespective of whether any energy is consumed or not during the year.

However, the load of X-Ray unit shall be excluded while considering the load of the consumer for calculation of minimum charges. The method of billing of minimum charges shall be as given in General Terms and Conditions of Low Tension tariff.

b) **Additional Charge for Excess demand:** Shall be billed as given in General Terms and Conditions of Low Tension tariff.

c) For LV-2.1 and LV-2.2: For the consumers having connected load in excess of 10 kW, demand based tariff is mandatory. The consumers having connected load upto and including 10 kW may also opt for Demand based tariff.

d) In case of prepaid consumers, a rebate of 25 paise per unit shall be applicable on the energy charges and all other charges shall be calculated on the Tariff applicable after rebate. A consumer opting for prepaid meter shall not be required to make any security deposit.

e) **Time of Day (ToD) Rebate/Surcharge:** This rebate/surcharge shall be applicable as specified in General Terms and Conditions of Low Tension Tariff.

f) Other terms and conditions shall be as specified under General Terms and Conditions of Low Tension Tariff.

09. अतः म0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा दिनांक 6 मार्च 2024 को जारी Retail Supply Tariff Order के Tariff Schedule LV 2.2 में टैरिफ तालिका के नीचे दिए गए नोट (*Foot note) में मासिक खपत हेतु लागू होने वाली टेरिफ दरें को निम्नानुसार स्पष्ट कर दिया गया हैं :–

***The applicability of sanctioned load based tariff shall be subject to monthly consumption corresponding to minimum charges leviable under the specific terms and conditions for LV-2 category.**

10. माननीय आयोग के द्वारा जारी रिटेल सप्लाई टैरिफ आदेश दिनांक 6 मार्च 2024 में उपरोक्त स्पष्टीकरण अनुसार आवेदक के संयोजन पर लागू होने वाले एनर्जी चार्ज एवं फिक्सड चार्ज की दरें उसके स्वीकृत भार पर न्यूनतम वार्षिक खपत (240 युनिट प्रति कि.वा.) जो कि इस प्रकरण में 180 युनिट प्रति माह है, के आधार पर लागू होंगे ।

माननीय आयोग द्वारा दिनांक 06.03.2024 को पारित रिटेल सप्लाई टेरिफ आदेश में उपरोक्त स्पष्टीकरण के पश्चात इस प्रकरण में विवाद निर्णीत होकर समाप्त हो जाता है । चूंकि इस प्रकरण में विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर द्वारा पारित आदेश भी उपरोक्त टेरिफ आदेश अनुसार है इसलिए फोरम का आदेश यथावत् रहेगा । उभयपक्ष प्रकरण में हुआ अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे ।

आदेश की प्रति के साथ उभयपक्ष पृथक रूप से सूचित हों और आदेश की प्रति के साथ फोरम का मूल अभिलेख वापिस हो ।

(गजेन्द्र तिवारी)
विद्युत लोकपाल